

कार्यालय कलेक्टर रायपुर
ज्ञापन

कमॉक 895/ भू अर्जन/2017/ 578
प्रति,

रायपुर दिनांक 16.6.2017
20

- 1:- प्रभारी अधिकारी (राजरात शाखा)
जिला कार्यालय रायपुर
 - 2:- अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) आरंग
 - 3:- प्रभारी अधिकारी (N.I.C)जिला कार्यालय रायपुर
 - 4:- तहसीलदार आरंग
- विषय :- लोक प्रयोजन हेतु छतौना-दरबा-कुटेशर- बडगॉव-कुण्डा- नारा लखौली चौडीकरण हेतु सामाजिक सामाघात प्रबंधन- रिपोर्ट का प्रकाशन के संबंध में ।

-00000-

भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार(सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई नियम 2016 के तहत गठित दल द्वारा लोक हित तहत गठित दल द्वारा छतौना- दरबा- कुटेशर- बडगॉव- कुण्डा- नारा- लखौली मार्ग चौडीकरण हेतु ग्राम सोनपैरी का कुल खसरा नम्बर 8 का कुल रकबा 0.26 हे.भू अर्जन के संबंध में सामाजिक सामाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति सलंगन है। जिसका प्रकाशन छ. ग. शासन की वेबसाइट ग्राम / वार्डों में सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर प्रकाशित करने, मुनादी कराने एवं जिला कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार कार्यालय पर प्रकाशन किया जाना है।

अतः अपने क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक समाघात प्रबंधन/ रिपोर्ट का प्रकाशन करा जाकर उसकी एक प्रति भेजना सुनिश्चित किया जावे।
सलंगन- उपरोक्तानुसार

कलेक्टर, 19/6/17

रायपुर(छ.ग.)

सामाजिक सामाघात प्रबंधन / रिपोर्ट

रायपुर कलेक्टर के ज्ञाप क्रमांक 765/भूमि - अर्जन/2016, रायपुर दिनांक 29/07/2016 के अनुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार सामाजिक सामाघात निर्धारण तथा जनसुनवाई अधिनियम 2016 के अंतर्गत, परियोजना और लोक प्रयोजन - छतौना - दरवा - कुटेसर - कुण्डा - नारा - लखैली मार्ग का चौड़ी करण हेतु स्थान - ग्राम सोनपैरी के 0.26 हेक्टर निजी भूमि का भूमि अर्जन किया जाना है। परियोजना का कुल लागत रु. 2886.23 लाख है जिसके लिए समाघात - सामाजिक समाघात दल का गठन किया गया है एवं भूमि अर्जन के अनुकूल्यो पर एवं कमी करने के उपाय पर विचार किया गया किन्तु भूमि अनुकूल्य नहीं पाया गये। जनसुनवाई तथा अन्य बैठकों द्वारा सामाजिक क्षति ज्ञात की गई। कुल अर्जित किए जाने वाली भूमि का विवरण निम्नानुसार है -


क्रं	खसरा नं.	भू स्वामी	कुल रकबा (हे.)	अर्जित रकबा (हे.)	हेतु
1	384/1	श्री फुलसिंग, फुलचंद, रामचंद, पिस. लुदु साहू	0.06	0.06	
2	380	श्री सीताराम पिता सुकालु साहू	0.17	0.02	
3	378	श्री मेहत्तर पिता कलुवा	0.25	0.02	
4	376/2	श्री संजय निहलानी पिता सुन्दरदास	0.19	0.01	
5	375	श्री ममता भर्गव पति विरेन्द्र सुलेखा आडित पति हरिशंकर	0.23	0.04	
6	369/1	चंद्रिका प्रसाद व. बुधराम	0.76	0.04	
7	369/2	रामप्रसाद व. बुधराम साहू	0.75	0.06	
8	376/1	सीताराम, अयोध्या, भुवन पिस. सुकालु साहू	0.94	0.01	

भूमि - अर्जन के लिए अर्जित की गई भूमि प्रभावित व्यक्तियों के जीविका का आंशिक स्रोत है एवं भूमि भी आंशिक प्रभावित है। इस परियोजना से किसी भी प्रकार की सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षति नहीं हुई है, इस हेतु किसी प्रकार की सामाजिक सामाघात प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है।

प्रभावित भूस्वामि जिसके जीविका आंशिक स्रोत को क्षति हुई है, जिनका आर्थिक सहयोग, उन्हें नियमानुसार भूमि - अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के तहत मुआवजा उपलब्ध कराया जाना है।

हस्ताक्षर

अध्यक्ष - श्री दिनेश ठाकुर (पुरुष), जनपद सदस्य सोनपैरी


 HELPS HELPS SAMITI
 और सामाजिक वैज्ञानिक
 हस्ताक्षर

सदस्य - श्री सुमीत राठौर (पुरुष), गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक
(हेल्प एण्ड हेल्थ्स समिति)

हस्ताक्षर


सदस्य - श्री मति सतीश कुंजराज साहू (महिला),
सरपंच ग्राम सोनपैरी, ज.पं. आरग, जि. रायपुर

हस्ताक्षर

सदस्य - श्री मनसाना(पुरुष), अनुविभागीय अधिकारी प्रा.या. सेवा रायपुर
(स्वास्थ्य डीक न देने के कारण हस्तक्षेप में है)

हस्ताक्षर

सदस्य - श्री फैयाज हुसैन(पुरुष),
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ (सेवा निवृत्त नायाब तहसीलदार)


 नथिव तहसीलदार
 सदस्य मंदिर तहसीलदार